अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 84 / 2023 | तारीख दायरा 06.07.2023 | तारीख फैसला 9.12.2023

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा राज0
उनवान

1– रामकरण उर्फ रामकुवांर आत्मज मूल्या उर्फ मूलीलाल जाति लश्करी निवासी मोतीकुंआ तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद में खाता नं0 201 नया, 180 पुराना पर खसरा नम्बर 289 की रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 460 की 0.05 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.69 हेक्टर भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता मूल्या उर्फ मूलीलाल के नाम दर्ज चली आ रही थी। मूल्या जी की मृत्यु के बाद वादी व उसके भ्राता मथुरालाल व हीरालाल के नाम दर्ज हुई। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से रामकुवांर घर का बोलता नाम दर्ज हो गया है, जब कि वादी का सही नाम रामकरण है।

यह कि वादी के आधार कार्ड, व वोटर आईडी, बेंक पास बुक, व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम रामकरण दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकुवांर गलत दर्ज होने के कारण वादी को काफी परेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकुवांर के स्थान पर रामकरण उर्फ रामकुवांर दर्ज किया जाना आवश्यक है।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा

यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने अपना नाम दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 02.2.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गलत दर्ज करने पर , तथा दिनांक 02.02.2023 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद में खाता नं0 201 नया, 180 पुराना पर खसरा नम्बर 289 की रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 460 की 0.05 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.69 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकुवांर के स्थान पर रामकरण उर्फ रामकुंवार आत्मज मूल्या उर्फ मूलीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1— नकल जमाबन्दी सवंत् 2074—2077 ग्राम मोतीकुआ, खाता सं0 201
2— जनआधार कार्ड
3— पहचान पत्र निर्वाचन आयोग
4— शपथ पत्र
5— आधार कार्ड रामकरण
6— राशन कार्ड
7— कार्यालय ग्राम पंचायत सारोला का प्रमाण पत्र दिनांक 02.02.2023

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जाकर विशेष कथन किया है कि प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी अनुसार रामकुंवार एंव रामकरण एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः रामकुंवार पुत्र मूल्या के स्थान पर रामकरण पुत्र मूलीलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब प्रतिवादी सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंम का शपथ प्रस्तुत है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में रखा गया।

बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व मनन किया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद कोटा

वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में उपलब्द्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जवाब सरकार से स्पष्ट होता है कि वादी का नाम रामकुंवार नाम गलत दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामकुंवार पुत्र मूल्या के स्थान पर रामकरण पुत्री मूलीलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद में खाता नं0 201 नया, 180 पुराना पर खसरा नम्बर 289 की रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 460 की 0.05 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.69 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकुवांर पुत्र मूल्या के स्थान पर रामकरण पुत्र मूलीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2023 को लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमे आम में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा